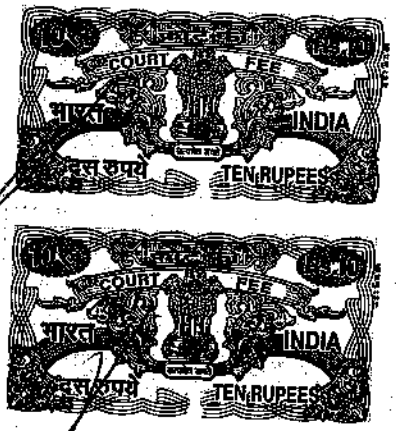

श्री

राजस्व निगरानी क्रमांक :

प्रस्तुती दिनांक :

माननीय रेवेन्यु बोर्ड ग्वालियर केम्प इन्दौर

निग – GWL – PBR-6

किशोर पिता श्री गोपाल भिलाला
आयु ४० साल, व्यवसाय-कृषि
निवासी-ग्राम सालखेडा, तहसील राजपुर,
जिला बडवानी

--- प्रार्थी

103/05-02-2016
कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री विशाल सिंह पंवार
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 5-2-2016
को प्रस्तुत।

अधीक्षक
आयुक्तकार्यालय

VERSUS

(१) बिन्दाबाई पति श्री पूंजा भिलाला
निवासी-ग्राम भमौरी, तहसील राजपुर,
जिला बडवानी

(२) कलाबाई पति श्री गोकुल भिलाला
निवासी-ग्राम सालखेडा, तहसील राजपुर,
जिला बडवानी

(३) लीलाबाई पति शंकर भिलाला
निवासी-ग्राम भमौरी, तहसील राजपुर,
जिला बडवानी एवं इन्दौर

(४) चम्पाबाई पति दूलिया भिलाला
निवासी-ग्राम भमौरी, तहसील राजपुर,
जिला बडवानी

(५) गुलाबबाई पति लोनिया भिलाला
निवासी-ग्राम भमौरी, तहसील राजपुर
जिला बडवानी म.प्र.एवं इन्दौर

R 641-PBR/16 बड़वानी

(६) सुभाष पिता श्री सरदार भिलाला
निवासी-ग्राम सालखेडा, तहसील राजपुर,
जिला बडवानी म.प्र.

(७) राकेश पिता श्री सरदार भिलाला
निवासी-ग्राम सालखेडा, तहसील राजपूर
जिला बडवानी म.प्र. --- प्रत्यर्थीगण

निगरानी : अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

मानननीय महोदय,

प्रार्थी यह निगरानी माननीय अपर कमिश्नर महोदय, इन्दौर द्वारा राजस्व अपील क्रमांक ०१/१४-१५ में पारित आदेश दिनांक ७ मई २०१५ से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत करता है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 641–पीबीआर/16 [किशोर– दिन्दावाई] जिला बडवानी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–5–2016	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 7–5–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया विधिसंगत है कि तहसीलदार द्वारा पारित बटवारा आदेश दिनांक 18–10–2011 अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश दिनांक 16–1–2012 से निरस्त किया जा चुका है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वह अंतिम हो गया है, अर्थात बटवारा आदेश अस्तित्व में नहीं होने से उसके आधार पर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	